डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान फततेसिंह बनाम हरीसिंह वगै0

दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 89/2019

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 1233 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम नगला मई के वादी के 2/3 हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण, बेदखल व उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

बीज – मुबलिग -------- बाबत -------- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ______फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक ______ की अदा करें।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30-09-2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

दस्तखत—— 30/9/24

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1. फततेसिंह पुत्र सामंताराम जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र सामंताराम जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बबलू पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. सुरेन्द्र पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. ढकेली पत्नी हरीसिंह जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई— असल प्रतिवादीगण
6. गुड्डी पत्नी गंगाराम जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

30/9/24

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 89/2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00164
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 30.09.2024

1. फततेसिंह पुत्र सामंताराम जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र सामंताराम जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बबलू पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. सुरेन्द्र पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. ढकेली पत्नी हरीसिंह जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई– असल प्रतिवादीगण
6. गुड्डी पत्नी गंगाराम जाति जाटव निवासी नगला मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादींगण

उपस्थित श्री जीतेन्द्र कुमार गौड एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति है।
2. यह कि आराजी खसरा नंबर 1233 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम नगला मई तहसील नदबई में स्थित है।

30/9/24

3. यह कि उक्त खसरा नंबर में वादी 2/3 हिस्से का खातेदार भूमिस्वामी रिकॉर्ड है जबकि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 1/6 हिस्से का हिस्सेदार है। जबकि उक्त रकबा से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का न्यारानूर रकबा स्वामित्व व आधिपत्य में है। वादी ने अपनी 2/3 हिस्से में अपने स्वयं के उपयोग हेतु गैतवाडा, घूरे आदि बने रखे हैं जिस पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादी से सख्त रंजिश रखते हैं। जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादी को बिना वजह बिना किसी विधिक अधिकार के बेदखल करने पर उतारू हैं जबकि ऐसा करने का उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि खसरा नंबर 1233 के 2/3 हिस्से में पाटौर में अनधिकृत प्रवेश व कब्जा न करने हेतु पाबंद किया जावे।

यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की ओर से श्री सूरजभान एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव दावा पेश किए जाने हेतु बार बार अवसर दिए गए परन्तु इनके द्वारा जबाव दावा पेश नहीं किया गया तथा इनका जबाव दिनांक 13.06.24 को बंद किया जाकर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम नगला मई पेश की गई तथा मौखिक बयान में वादी फतेहसिंह का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वादी की एकतरफा बहस अंतिम सुनी गई। तर्क पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया से पाया कि वादी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश

30/9/24

किया गया है जिसमें असल प्रतिवादीगण वादी की हिस्से की आराजी पर दखलदांजी पेश करने बाबत् किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम नगला मई पेश की गई जिसमें विवादित आराजी खसरा नंबर 1233 रकबा 0.13 है0 पर वादी फतेहसिंह पुत्र सामंताराम 2/3 हिस्सा जाति जाटव निवासी नगला मई एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 गुड्डी पत्नी गंगाराम हिस्सा 1/3 जाति जाटव निवासी नगला मई रिकॉर्डेड खातेदारी अंकित है। उक्त आराजीयात वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 की संयुक्त आराजी है। उक्त विवादित आराजीयात से असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। परन्तु असल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादी के 2/3 हिस्से की आराजी में बने गैतवाडा, घूरे व पाटौर वगैराह पर आराजी से बेदखल करने पर उतारू हैं जिसकी धमकी भी असल प्रतिवादीगण द्वारा दी गई जबकि उक्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 करने का किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1233 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम नगला मई के वादी के 2/3 हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण, बेदखल व उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024. को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

30/9/24
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, ...वई